



**CENTRE
FOR AMBITION**
AN INSTITUTE FOR CIVIL SERVICES

IAS-PCS

Date : 07-11-2025

Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980



- The **Forest Conservation Act (FCA), 1980** renamed as the **Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980** — is a landmark legislation enacted to **curb large-scale deforestation** and ensure **centralized regulation of forest land use** in India.

Objectives

- To **conserve forests** and maintain the **ecological balance** of the country.
- To **regulate diversion of forest land** for non-forest purposes.
- To promote **compensatory afforestation** and regeneration of degraded forests.
- To integrate forest protection with **sustainable development and climate goals**.

Key Provisions

1. **Central Approval Mandatory:** No forest land can be used for non-forest purposes without the **prior approval of the Central Government**.
2. **Non-Forest Purpose Defined:** The Act defines non-forest use as breaking up or clearing forest land for cultivation of crops, construction of projects, dams, roads, or any purpose other than reforestation.

3. **Advisory Committee:** The Central Government constitutes an **Advisory Committee** (under Section 3) to scrutinize proposals for forest land diversion and recommend measures for conservation.
4. **Compensatory Afforestation:** User agencies diverting forest land must undertake **compensatory afforestation** on non-forest or degraded forest land.
5. **Restriction on De-Reservation:** States cannot de-reserve protected forests or transfer forest land to private entities without center's permission.
6. **Deemed Forests:** Following the *T.N. Godavarman Thirumulpad v. Union of India* (1996) judgment, the term *forest* was interpreted broadly to include **all areas recorded as forest in any government record**, irrespective of ownership or notification status.
7. **1988 Amendment**-Set up a **Forest Advisory Committee (FAC)** at the central level.

Forest (Conservation) Amendment Act, 2023

- Passed in **July–August 2023**, this amendment sought to **clarify definitions, streamline approvals, and align forest governance with developmental and strategic needs**. The Act was also **renamed** as the **Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980**.

Key Changes Introduced

(i) Scope of forest under the Act:

1. Land declared or notified as a forest under the **Indian Forest Act, 1927**, or any other law, or
 2. Land recorded as forest in government records **on or after 25 October 1980**.
- It excludes land converted to non-forest use **before 12 December 1996** (the date of the Godavarman judgment).
 - **Effect:** This **narrows the applicability** of the law and potentially excludes certain unrecorded forest areas earlier protected as “deemed forests.”

(ii) Exemptions from Central Approval:

Certain activities are now **exempt** from the requirement of central clearance, such as:

- **Security-related infrastructure** (up to 10 hectares) within 100 km of international borders, Line of Actual Control (LAC), or Line of Control (LoC).
- **Public utility projects** (up to 5 hectares) in Left Wing Extremism (LWE)-affected districts.

- **Linear projects** like roads, railways, or transmission lines (up to 0.10 hectares for connectivity).
- **Eco-tourism, zoos, and safaris**, subject to state and central permissions.

These exemptions aim to **facilitate national security and development** but raise environmental concerns.

(iii) Permitted Activities in Forests:

- The amendment allows certain activities like **conservation, management, silvicultural operations, eco-tourism, surveys, and afforestation**- to be treated as **forest-related uses**, not “non-forest purposes.”

(iv) Penal Provisions (2023 Rules):

- The **Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023** introduced **penal Net Present Value (NPV)** up to **five times** the normal rate for violations.
- The **Forest Advisory Committee (2025)** has recommended further **uniformity in penal compensatory afforestation**, ensuring consistency in enforcement.

Forest Advisory Committee on Rationalisation of Penalties under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980

- Recently, the **Forest Advisory Committee (FAC)** of the **Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC)** has recommended **rationalisation and uniformity** in the **penal provisions** under the Act, noting inconsistencies in penalties for similar violations across states.

Key Highlights of the FAC's Recommendation

1. **Uniform Penal Framework:** The FAC observed that penalties for violations of the Act such as using forest land without central clearance, varied widely due to the absence of common rules. It therefore recommended that **penal compensatory afforestation (CA)** should be uniformly charged on an **equal extent of forest land** involved in any violation.
2. **Penal Compensatory Afforestation (CA):** Refers to **restoration efforts ordered in addition to legally mandated CA** for non-forestry use. Earlier, such penal CA (often equal to or double the violated area) was applied inconsistently.

The FAC has now proposed a **uniform measure: penal CA equivalent to the area used in violation** to maintain fairness and ecological balance.

3. **Penal NPV (Net Present Value):** Under the **Van Adhiniyam Rules, 2023**, the ministry levies a **penal NPV up to five times** the normal rate on the violated area. NPV quantifies the **ecosystem services** (like carbon storage, water regulation, biodiversity) provided by the forest. The **penal NPV concept** stems from **Supreme Court directions (August 2017)**, later integrated into the 2023 consolidated guidelines after the amendment of the Act.
4. **Rationalisation Rationale:** The FAC noted that **penal CA** was largely discontinued after detailed **monetary penalty guidelines** were issued, but some regional offices continued to impose it case-by-case. To ensure **consistency, proportionality, and fairness**, it is now proposed to rationalise **penal CA and penal NPV** together.
5. **Action and Accountability:** In cases where violations are found, **State Governments** must send detailed reports to the **MoEFCC** with the names of officials responsible and actions taken.
6. **Supreme Court Context:** The move aligns with the **apex court's directions (2017)** to streamline forest violation penalties and strengthen accountability mechanisms post the **Forest (Conservation) Amendment, 2023**.

Significance

- Ensures **uniform application of penalties** for forest violations across India.
- Prevents **arbitrary or uneven treatment** of user agencies.
- Reinforces **environmental accountability** and quantifies ecological damage.
- Strengthens **compliance** under the Van Adhiniyam and its 2023 Rules.
- Aligns India's forest governance with **judicial directives and environmental economics** (through NPV valuation).

Concerns

- Implementation depends on **accurate identification** of violations and **updated forest records**.
- Overreliance on **monetary valuation (NPV)** may not fully capture **ecological loss**.
- Need for **state-level capacity building** to ensure uniform enforcement.
- **Overlap of penalties** (penal NPV + penal CA) must be clearly defined to avoid duplication or excessive burden on small projects.

वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए), 1980



- वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए), 1980, जिसका नाम बदलकर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 कर दिया गया है, भारत में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई को रोकने और वन भूमि उपयोग के केंद्रीकृत विनियमन को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित एक ऐतिहासिक कानून है।

उद्देश्य

- वनों का संरक्षण और देश के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना।
- गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग को विनियमित करना।
- प्रतिपूरक वनीकरण और क्षरित वनों के पुनर्जनन को बढ़ावा देना।
- वन संरक्षण को सतत विकास और जलवायु लक्ष्यों के साथ एकीकृत करना।

प्रमुख प्रावधान

1. **केंद्रीय अनुमोदन अनिवार्य:** केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी वन भूमि का उपयोग गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है।
2. **गैर-वनीय उद्देश्य की परिभाषा:** अधिनियम गैर-वनीय उपयोग को फसलों की खेती, परियोजनाओं, बांधों, सड़कों के निर्माण या पुनर्वनीकरण के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए वन भूमि को तोड़ने या साफ करने के रूप में परिभाषित करता है।
3. **सलाहकार समिति:** केंद्र सरकार वन भूमि परिवर्तन के प्रस्तावों की जाँच करने और संरक्षण के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक सलाहकार समिति (धारा 3 के तहत) का गठन करती है।

4. **प्रतिपूरक वनरोपण:** वन भूमि परिवर्तन करने वाली उपयोगकर्ता एजेंसियों को गैर-वनीय या निम्नीकृत वन भूमि पर प्रतिपूरक वनरोपण करना होगा।
5. **अनारक्षण पर प्रतिबंध:** राज्य केंद्र की अनुमति के बिना संरक्षित वनों को अनारक्षण नहीं कर सकते या वन भूमि को निजी संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं कर सकते।
6. **मानित वन:** टी.एन. गोदावर्नन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ (1996) निर्णय के बाद, वन शब्द की व्यापक व्याख्या की गई, जिसमें स्वामित्व या अधिसूचना स्थिति की परवाह किए बिना, किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज सभी क्षेत्र शामिल थे।
7. 1988 संशोधन - केंद्रीय स्तर पर एक वन सलाहकार समिति (FAC) की स्थापना।

वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023

- जुलाई-अगस्त 2023 में पारित, इस संशोधन का उद्देश्य परिभाषाओं को स्पष्ट करना, अनुमोदनों को सुव्यवस्थित करना और वन प्रशासन को विकासात्मक एवं रणनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना था।

इस अधिनियम का नाम बदलकर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 भी कर दिया गया।

प्रमुख परिवर्तन

(i) अधिनियम के अंतर्गत वन का दायरा:

- भारतीय वन अधिनियम, 1927 या किसी अन्य कानून के तहत वन के रूप में घोषित या अधिसूचित भूमि, या 25 अक्टूबर 1980 को या उसके बाद सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज भूमि।
- इसमें 12 दिसंबर 1996 (गोदावर्नन निर्णय की तिथि) से पहले गैर-वन उपयोग में परिवर्तित भूमि शामिल नहीं है।
- प्रभाव: यह कानून की प्रयोज्यता को सीमित करता है और संभावित रूप से कुछ अलिखित वन क्षेत्रों को शामिल नहीं करता है जिन्हें पहले "मान्य वन" के रूप में संरक्षित किया गया था।

(ii) केंद्रीय अनुमोदन से छूट:

- कुछ गतिविधियों को अब केंद्रीय मंजूरी की आवश्यकता से छूट दी गई है, जैसे:
- अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) या नियंत्रण रेखा (LoC) के 100 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढाँचा (10 हेक्टेयर तक)।

- वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलों में जनोपयोगी परियोजनाएँ (5 हेक्टेयर तक)।
- सड़क, रेलवे या ट्रांसमिशन लाइनों जैसी रैखिक परियोजनाएँ (कनेक्टिविटी के लिए 0.10 हेक्टेयर तक)।
- इको-टूरिज्म, चिड़ियाघर और सफारी, राज्य और केंद्र की अनुमति के अधीन।

इन छूटों का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना है, लेकिन पर्यावरण संबंधी चिंताएँ भी पैदा होती हैं।

(iii) वनों में अनुमत गतिविधियाँ:

- संशोधन संरक्षण, प्रबंधन, वन-संवर्धन कार्य, इको-टूरिज्म, सर्वेक्षण और वनरोपण जैसी कुछ गतिविधियों को वन-संबंधी उपयोगों के रूप में माना जाएगा, न कि "गैर-वनीय उद्देश्यों" के रूप में।

(iv) दंडात्मक प्रावधान (2023 नियम):

- वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में उल्लंघनों के लिए सामान्य दर से पांच गुना तक दंडात्मक शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की शुरुआत की गई।
- वन सलाहकार समिति (2025) ने दंडात्मक प्रतिपूरक वनरोपण में और अधिक एकरूपता लाने की सिफारिश की है, ताकि इसके प्रवर्तन में एकरूपता सुनिश्चित हो सके।

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत दंडों के युक्तिकरण पर वन सलाहकार समिति

- हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की वन सलाहकार समिति (FAC) ने अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक प्रावधानों को युक्तिकरण और एकरूपता प्रदान करने की सिफारिश की है, जिसमें राज्यों में समान उल्लंघनों के लिए दंडों में विसंगतियों को ध्यान में रखा गया है।

FAC की सिफारिश के मुख्य बिंदु

1. **एक समान दंडात्मक ढाँचा:** FAC ने पाया कि अधिनियम के उल्लंघनों, जैसे कि केंद्रीय मंजूरी के बिना वन भूमि का उपयोग, के लिए दंड समान नियमों के अभाव के कारण व्यापक रूप से भिन्न हैं।

इसलिए, समिति ने सिफारिश की कि किसी भी उल्लंघन में शामिल वन भूमि के समान क्षेत्र पर दंडात्मक प्रतिपूरक वनरोपण (CA) समान रूप से लगाया जाना चाहिए।

2. **दंडात्मक प्रतिपूरक वनरोपण (सीए):** गैर-वानिकी उपयोग के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य सीए के अतिरिक्त आदेशित पुनर्स्थापन प्रयासों को संदर्भित करता है। पहले, इस तरह के दंडात्मक सीए (अक्सर उल्लंघन किए गए क्षेत्र के बराबर या दोगुने) को असंगत रूप से लागू किया जाता था। एफएसी ने अब एक समान उपाय प्रस्तावित किया है: निष्पक्षता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए उल्लंघन में उपयोग किए गए क्षेत्र के बराबर दंडात्मक सीए।
3. **दंडात्मक एनपीवी (शुद्ध वर्तमान मूल्य):** वन अधिनियम नियम, 2023 के तहत, मंत्रालय उल्लंघन किए गए क्षेत्र पर सामान्य दर से पाँच गुना तक दंडात्मक एनपीवी लगाता है। एनपीवी वन द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं (जैसे कार्बन भंडारण, जल विनियमन, जैव विविधता) को मापता है।
4. **दंडात्मक एनपीवी अवधारणा** सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों (अगस्त 2017) से उत्पन्न हुई है, जिसे बाद में अधिनियम में संशोधन के बाद 2023 के समेकित दिशानिर्देशों में शामिल किया गया।
5. **युक्तिकरण का औचित्य:** एफएसी ने नोट किया कि विस्तृत मौद्रिक दंड दिशानिर्देश जारी होने के बाद दंडात्मक सीए को बड़े पैमाने पर बंद कर दिया गया था, लेकिन कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों ने इसे मामला-दर-मामला लागू करना जारी रखा। स्थिरता, आनुपातिकता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, अब दंडात्मक सीए और दंडात्मक एनपीवी को एक साथ युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव है।
6. **कार्रवाई और जवाबदेही:** जिन मामलों में उल्लंघन पाए जाते हैं, राज्य सरकारों को जिम्मेदार अधिकारियों के नाम और की गई कार्रवाई के साथ विस्तृत रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजनी होगी।
7. **सर्वोच्च न्यायालय का संदर्भ:** यह कदम वन (संरक्षण) संशोधन, 2023 के बाद वन उल्लंघन दंड को सुव्यवस्थित करने और जवाबदेही तंत्र को मजबूत करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों (2017) के अनुरूप है।

महत्व

- पूरे भारत में वन उल्लंघनों के लिए दंड का एक समान अनुप्रयोग सुनिश्चित करता है।
- उपयोगकर्ता एजेंसियों के साथ मनमाने या असमान व्यवहार को रोकता है।

- पर्यावरणीय जवाबदेही को सुदृढ़ करता है और पारिस्थितिक क्षति का परिमाणन करता है।
- वन अधिनियम और उसके 2023 नियमों के तहत अनुपालन को मज़बूत करता है।
- भारत के वन प्रशासन को न्यायिक निर्देशों और पर्यावरणीय अर्थशास्त्र (एनपीवी मूल्यांकन के माध्यम से) के साथ संरेखित करता है।

चिंताएँ

- कार्यान्वयन उल्लंघनों की सटीक पहचान और अद्यतन वन रिकॉर्ड पर निर्भर करता है।
- मौद्रिक मूल्यांकन (एनपीवी) पर अत्यधिक निर्भरता पारिस्थितिक क्षति को पूरी तरह से नहीं दर्शा सकती है।
- एक समान प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए राज्य-स्तरीय क्षमता निर्माण की आवश्यकता।
- छोटी परियोजनाओं पर दोहराव या अत्यधिक बोझ से बचने के लिए दंडों (दंडात्मक एनपीवी + दंडात्मक सीए) का ओवरलैप स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना।

